



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर के आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX



एन-5, टाउन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-431003

N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD-431003

वेबसाइट/WEBSITE : <http://www.centralexciseaurangabad.gov.in>

ई-मेल/E-mail : cexauran@excise.nic.in

फोन/Phone : +91-240-2484975 फैक्स/Fax : +91-240-2483303/2476627

जनसूचना सं. 03/सी.ई.एक्स/2016

विषय :- अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 2016 के सम्बन्ध में।

सभी व्यापार तथा उधम का ध्यान केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के दि. 31 मई 2016 के फा.सं.1080/06/डी.एल.ए/आई.डी.आर.एस/2016 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 29/2016 सी.ई.(एन.टी.) की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. वित्त अधिनियम 2016 के (2016 का 28) अध्याय XI में समाविष्ट खण्ड 212 से 218, जो **अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, 2016** के सम्बन्ध में हैं। इस योजना का लाभ लेने हेतु मनोनीत अधिकारी के समक्ष घोषणा दायर करने के लिए उन्हीं पार्टी को अनुमति देती हैं जो कि दि. 01.03.2016 को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील में हो।

3. वित्त अधिनियम 2016 के खण्ड 213 के उपखण्ड(1) की धारा (ई) के अनुसार **श्री उबैदुल्लाह खान, सहायक आयुक्त, को केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, औरंगाबाद आयुक्तालय** के कार्यक्षेत्र में अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 2016 के उद्देश्य के लिए **मनोनीत अधिकारी** के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

4. दि. 31 मई 2016 को अधिसूचना सं. 29/2016-सी.ई.(एन.टी.) द्वारा अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना नियम, 2016 अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम योजना को कार्यान्वित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्वरूप को दर्शाते हैं।

5. सभी व्यापार संगठन, चैम्बर्स आफ कॉमर्स तथा क्षेत्रीय सलाहकार समिति/लोक शिकायत समिति के सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस योजना का उनके सदस्यों के बीच प्रचार करें।

(सी. एल. महर)

आयुक्त

फा.सं. वी.जी.एन(30)25/टी.डी./2016

औरंगाबाद, 8 जून, 2016

प्रति प्रेषित:

1. मुख्य आयुक्त, के.उ., सी.शु. एवं सेवाकर, नागपुर जोन, नागपुर ।
2. व्यापार के लिए सूची के अनुसार सभी अधिकारियों को ।
3. सभी मंडल/अनुभाग प्रभारी ।
4. संगणक अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. नोटिस बोर्ड ।